

कार्यालय सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण उपखण्ड गिरवा प्रथम उदयपुर

सेवामें

श्रीमान प्रधान मुख्य संरक्षक
राजस्थान जयपुर

विषय :- ईडीएस नम्बर : F14() FCA/PCCF/CCFEDS-I Dated 14.12.2018

सडक का नाम :- अलसीगढ से नाल फला

प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/20389/2017 दिनांक 25.06.2017

आपके द्वारा ईडीएस में लगाये गये आक्षेप के नियमानुसार पूर्ति की जा रही है।

क्र.स.	विवरण	प्रत्युत्तर
1	प्रस्ताव के पार्ट 1। बिन्दु संख्या C-(B) में संलग्न KML File में संलग्न पॉलीगॉन का क्षेत्रफल (2.3837 है. एवं 0.2850 कुल 2.6687 है) जबकि आवेदित वन क्षेत्र (2.412 है एवं 0.258 है. कुल 2.67 है) है जो विरोधाभासी है अति संशोधित KML File एवं GT Sheet & DGPS Map संलग्न किया जाना प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त तीन अतिरिक्त पॉलीगॉन और दर्शाये गये हैं जिनका कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्ताव में सहवन से क्षेत्रफल गलत अंकित हो गये हैं सुधार कर दिया गया है एवं KML File एवं GT Sheet & DGPS Map तदनुसार संलग्न है।
2	प्रस्ताव के पार्ट 1। के बिन्दु संख्या D में यूजर एजेन्सी द्वारा 1980 से पूर्व का कच्चा ट्रेक होना दर्शाया गया है। प्रस्ताव में प्रस्ताव की औचित्यता एवं उसके विभिन्न वैकल्पिक भागों का विश्लेषण संलग्न नहीं किया गया है।	प्रस्ताव के पार्ट - 1। के बिन्दु संख्या D में विभिन्न विकल्प का विश्लेषण संलग्न किया गया है।
3	प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के मानचित्र में यह मालूम नहीं हो रहा है कि उक्त भूमि किये वन भूमि के नजदीक है इसे स्पष्ट किया जावे।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वनखण्ड अलसीगढ मरवड के सीमा से लगा हुआ है।
4	प्रस्ताव में यूजर एजेन्सी द्वारा मलबा निस्तारण के सम्बन्ध में वचनबद्धता संलग्न की गई है कि उनके द्वारा मलबे का प्रयोग होगा किन्तु अनुमानित मलबा निस्तारण योजना एवं उसमें राशि जमा कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न नहीं की गई है।	मलबा निस्तारण के सम्बन्ध में निवेदन है कि विभागीय निर्देशानुसार मलबा निस्तारण किया जायेगा एवं कोई भी सामग्री का उपयोग नहीं किया जायेगा।
5	प्रस्ताव में प्रस्तावित सडक की चौड़ाई के क्रॉस सेक्शन एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं है।	प्रस्तावित सडक की चौड़ाई के क्रॉस सेक्शन एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न कर दिये गये हैं।
6	प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति संलग्न नहीं है।	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न कर दी गई है।
7	प्रस्ताव में दोहरे दस्तावेजों को हटाया जाना प्रस्तावित है। एवं प्रस्ताव में प्रस्ताव संख्या प्रस्ताव का नाम, प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र एवं दिनांक अंकित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्ताव में दोहरे दस्तावेज हटा दिये गये हैं। एवं समस्त दस्तावेजों पर तदनुसार प्रस्ताव का नाम आदि अंकित कर दिये गये हैं।
8	प्रस्ताव में रंगीन फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है जबकि इससे एक मूल एवं दो फोटो प्रति जिसमें यूजर एजेन्सी एवं उप वन संरक्षक के हस्ताक्षर हो संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	प्रति संलग्न कर दी गई है।


(अशोक उपाध्याय)
 सहायक अभियन्ता
 सा.नि.वि. उपखण्ड
 गिरवा-द्वितीय, उदयपुर
 (अशोक उपाध्याय)

सहायक अभियन्ता
 सा.नि.वि. उपखण्ड गिरवा प्रथम, उदयपुर